

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)

क्रमांक : 3633-3675

दिनांक : 02/08/2024


-: संशोधित कार्यालय आदेश :-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3589-3631 दिनांक 01.08.2024 के द्वारा माह अगस्त-2024 में पड़ने वाले दिनांक 26.08.2024 जन्माष्टमी अवकाश के लिए कोटा न्यायक्षेत्र में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के पुलिस थानों में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात् में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु श्री अमन गुसा न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-5 दक्षिण कोटा को अधिकृत किया गया था, किन्तु कोटा शहर में जन्माष्टमी अवकाश दिनांक 26.08.2024 के स्थान पर अगले दिन दिनांक 27.08.2024 को रहता है।

अतः मैं दुडाराम खोकर, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 3589-3631 दिनांक 01.08.2024 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक परिवर्तन करते हुए श्री अमन गुसा न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-5 दक्षिण कोटा को रिमाण्ड इयूटी हेतु दिनांक 26.08.2024 के स्थान पर 27.08.2024 के लिए अधिकृत किया जाता है।

नोट:-

1. सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से दोपहर 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक एवं प्रातःकालीन न्यायालय समय में 9.00 ए.एम. से 11.00 ए.एम. तक न्यायालय परिसर कोटा में अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
2. रिमाण्ड इयूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से कोटा पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के कोटा प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल इयूटी भी उक्त अधिकारी करेंगे।


(दुडाराम खोकर)


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

क्रमांक: 3633-3675

दिनांक: 02/08/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ जरिए ई-मेल प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा को सादर
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक शहर/ग्रामीण को अपने अधीनस्थ थानाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
3. अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1/2/3/4/5/6/7/रेल्वे/(पी.सी.पी.एन.डी.टी. एकट प्रकरण)/ किराया अधिकरण/रामगंजमण्डी/दीगोद/सांगोद कोटा।
4. प्रमुख मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, कोटा
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर/दक्षिण, कोटा।
6. अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1/2/3/4/5, (उत्तर) कोटा।
7. अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1/2/3/4/5 (दक्षिण) कोटा।
8. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई.एकट प्रकरण) क्रम-1/2/3/4 कोटा।
9. न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी/दीगोद/कनवास/इटावा कोटा।
10. ग्राम न्यायालय, इटावा/रामगंजमण्डी, कोटा।
11. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग को ए.पी.पी. की इयूटी की व्यवस्था हेतु।
12. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, कोटा।
13. नॉडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कम्प्यूटर कमेटी, कोटा।
14. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय कोटा।
15. आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड।


(दुडाराम खोकर)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)